तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
02.02.26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली दिनांक 23.03.26 को पेश वास्ते बहस प्रा.प. हो। [initials] सहायक कलक्टर (मु०) अजमेर
23/3/26	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी सं० 1 व 2 उपस्थित। उन्हें T.I. प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई की गई। प्रार्थी की मूल T.I. प्रा० पत्र पर आदेश पृथक से पारित किया गया। प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है [illegible] निस्तारण बाद [illegible] किया गया। [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम की एवं [illegible] को। [initials] सहायक कलक्टर (मु०) अजमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

पीठासीन अधिकारी – रतन कौर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 96/2023

श्री विष्णु भारती पुत्र श्री शम्भू भारती, जाति गुंसाई, निवासी मियांपुर, तहसील व जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1– मधु भारती पत्नि श्री हनुमान भारती
2– श्री मदन भारती
3– श्री चेतन भारती
दोनों पुत्रगण श्री शम्भू भारती, समस्त जाति गुंसाई, निवासी मियांपुर, तहसील व जिला अजमेर
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर
5– उप पंजीयक, अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1– श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील प्रार्थी की ओर से।
2– श्री शशि प्रकाश इन्दोरिया, वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक – 23.03.2026

1. प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इसी उनवान वाद के साथ प्रस्तुत किया है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजियात ग्राम तबीजी, तहसील अजमेर में स्थित है। जिसके हाल खसरा संख्या 3800 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा संख्या 3801 रकबा 0.28 हैक्टर एवं खसरा संख्या 3802 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.65 हैक्टर है। वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 1/6–1/6 हिस्सा निहित है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। आराजियात का न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है एवं राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से महरूम करने के इरादे से सीमा को लेकर आये दिन झगड़े व फसाद करना प्रारम्भ कर दिया है एवं प्रार्थी के हिस्से की भूमि को जबरन अपने हिस्से में मिलाने का प्रयास करते हैं तथा प्रार्थी व उसके वारिसान के विरूद्ध थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर मानसिक व आर्थिक रूप

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

से प्रताड़ित करते हैं, जिससे अब संयुक्त काश्त किया जाना संभव नहीं है। अतः राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का न्यायिक बंटवारा किये जाने हेतु इसी उनवान का वाद प्रस्तुत कर दिया है। वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स न्यायिक विभाजन नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने एवं बेदखली का नाजायत प्रयास करने तथा प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात को अन्यत्र रहन, बेचान, मुंतकिल अथवा अन्यथा हस्तांतरण करने पर सख्त आमादा है, जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थी अपने पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि से महरूम हो जायेगा एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखली का नाजायज प्रयास करने तथा रहन, बेचान व मुंतकिल करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 जरिये वकील उपस्थित हुए एवं वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। बहस प्रार्थना पत्र हेतु निश्चित दिन वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित रहे।
3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिस्से की आराजियात है। जिस पर मौके पर कब्जे व रिकॉर्ड हिस्से अनुसार न्यायिक बंटवारा किया जाना है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने भाग व हिस्से पर काबिज है एवं वाद के निस्तारण तक कृषि करने हेतु स्वतंत्र है, किन्तु प्रार्थी गैर कानूनी तौर पर अप्रार्थीगण को कृषि नहीं करने दे रहा है। वह गाली गलौच, झगड़ा, मारपीट पर उतारू है। अतः सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति व प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी के हक में है। प्रार्थी व अप्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर पृथक–पृथक काबिज है, जिन्हे अपनी–अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग व खेती का कानूनी अधिकार है।
4. हमने विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र तथ्यों पर मनन किया। साथ ही पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया।
5. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2072–2075 पेश की है। जिसमें ग्राम तबीजी के वर्तमान खसरा संख्या 3800 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा संख्या 3801 रकबा 0.28 हैक्टर एवं खसरा संख्या 3802 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.65 हैक्टर में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि वर्तमान में संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसका विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो रखा है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2072–2075 के अनुसार उक्त वर्णित विवादित आराजियात में प्रार्थी व

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इसी उनवान वाद के साथ प्रस्तुत किया है। इसी उनवान वाद में प्रार्थिया श्रीमति लाली पत्नि चेतन भारती ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया ने वादग्रस्त आराजियात में निहित वादी/प्रार्थी का 1/6 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी/प्रार्थी के स्थान पर प्रार्थिया का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 1312 दिनांक 06.02.2025 से दर्ज होने का कथन करते हुए बतौर वादिया वाद में वादी के स्थान पर पक्षकार मुर्तिब किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से हमारे समक्ष यह तथ्य प्रकट आये हैं कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजियात में निहित अपना 1/6 हिस्से का बेचान प्रार्थिया श्रीमति लाली पत्नि चेतन भारती को किया जा चुका है एवं वर्तमान में वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी/वादी का स्वत्व निहित नहीं रहा है। जब आराजियात में प्रार्थी/वादी का हक व अधिकार ही निहित नहीं है तो विधि के प्रतिपादित प्रावधानों के तहत उन्हे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं है एवं प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को उनके हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करने का अधिकारी नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये प्रार्थी को तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति को सिद्ध करना आवश्यक था। प्रार्थी द्वारा अपने हक व हिस्से का बेचान किसी अन्य को किये जाने के कारण आराजियात में उनका अधिकार समाप्त हो चुका है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। साथ ही जब प्रार्थी द्वारा अपने निहित हक व हिस्से का बेचान कर स्वत्व अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिये गये हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति किस प्रकार हो रही है, यह साबित करने में असफल रहे हैं, जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है एवं प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
अजमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) * अजमेर *